लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/85/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 17.11.2017

श्री गंगाधर सोलंकी पिता मांगीलाल सोलंकी निवासी 91–न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

बनाम

1–लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

2–लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 08.12.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 03.10.2017 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 85/2017/(08.12)/875 दिनांक 22.11.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 08.12.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 08.12.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर पत्रांक 193 दिनांक 08.12.2017 से अपना पक्ष रखा कि उसे वांछित सूचना/दस्तावेज प्रत्यर्थी से आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुए है अतः वांछित दस्तावेज निः शुल्क उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किये।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 161 दिनांक 03.10.2017 से राशन डीलर श्री चांदमल आगाल द्वारा पोते राशन सामग्री श्रीमति गीता देवी को चार्ज मे दी उन वस्तुओं की मात्रा, वजन कितना रहा, गेहूं, शक्कर, केरोसीन आदि की चार्ज की प्रतिलिपि एवं आदेश क्रमांक 348 दिनांक 27.12.2016 के पश्चात् वार्ड नं. 39 में श्रीमति गीता देवी को आवंटित गेहूं, शक्कर, केरोसीन के बिलों की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./85/2017(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2017

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़
3. श्री गंगाधर सोलंकी पिता श्री मांगीलाल सोलंकी निवासी 91–न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)